(81)

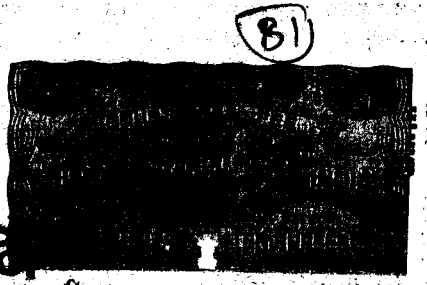

समक्ष : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म0प्र0)

पुर्नविलोकन प्रकरण क /2017 शिवपुरी

संदीप कुमार बंसल पुत्र श्री राजकुमार बंसल निवासी – रामबाग कॉलोनी ,शिन्दे की छावनी लश्कर जिला ग्वालियर म.प्र. ।

.....आवेदक

श्री ... द्वारा आज दि.22-2-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 23.2.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. दुर्गाप्रसाद पुत्र श्री सावंलदास निवासी गौतम बिहार कॉलोनी तहसील व जिला शिवपुरी म.प्र.
2. ग.प्र. राज्य द्वारा कलेक्टर जिला शिवपुरी म.प्र.

.....अनावेदकगण

पुनर्विलोकन याचिका अन्तर्गत म.प्र. भू–राजस्व सहिता , 1959 की धारा 51 के तहत निगरानी 2301/दो /2016 मे पारित आदेश दिनांक 30.1.2017 को पुर्नविलोकन किये जाने वावत ।

श्रीमान जी,

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्नानुसार है। :–

प्रकरण के संक्षेप तथ्य

1. यहकि, प्रकरण का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा धारा 107(5) म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 के अधीन आवेदन पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बांसखेडी स्थिति साबिक सर्वे नं. 65 रकवा 16 वीघा 18 विस्वा जो कि भूमि स्वामी श्रीलाल कटारे के स्वामित्व पर दर्ज थी , उसमें से दिनांक 28.11.1994 को उसने 0.02 हे. भूमि कय की थी । उक्त समय त्रुटिपूर्वक सर्वे नं 64 से गलत नया नम्बर 147 वनाया गया । 1962–63 केअक्स में यह भूमि आगरा वम्बई राजमार्ग से लग कर दर्शाई गई है जिसे सर्वे नं 64 से दर्शाते हुये परिवर्तन कर भूमि पूर्व दिशा की ओर कर दी । बदोवस्त के दौरान खाता निर्धारण बंटाकन गलत किया गया । वास्तविक रूप से सर्वे क्रमांक 65/1 का नया सर्वे नम्बर 100 अंकित होना था जिसका बंटाकर किया जाकर त्रुटि की गई है विकय पत्र अनुसार दुरस्ती की जाने वावत आवेदन पत्र अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी के समक्ष प्रकरण क 07/13–14/अ–5 मे दर्ज किया जाकर विधिवत जांच व सरहदी कास्तकारो को व हितवद्ध पक्षकार अनावेदक क 1 को सूचना पत्र व सुनवाई का मोका दिया जाकर सम्पूर्ण दस्तावेज व रिकार्ड का अध्ययन व जांच

23.2.17

23/2/17

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु –719–दो/17 जिला –शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभ आदि के हस्ताक्षर
05.6.17	आवेदक के अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित। अनावेदक की ओर से श्री आर0 डी0 शर्मा उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । उभयपक्ष के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण में प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। 2– यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 2301–दो/16 में पारित आदेश दिनांक 30.1.17 के विरूद्व प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 719–दो/17 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। 4– आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 2301–दो/16 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 30.1.17 से किया जा चुका है। 5– रिव्यु प्रकरण कमांक 719–दो/17 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:– अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय	

जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब—अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

स— कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है, उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई ठोस आधार नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राहय किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों। प्रकरण दा0 द0 हो। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य